UPJL010052632023

न्यायालयः जिला जज, जालौन स्थान उरई।

पीठासीनः विरजेन्द्र कुमार सिंह, एच0जे0एस0,

प्रकीर्ण वाद संख्या 69/2023

श्रीमती लेखनी प्रति दीपचन्द्र आदि

09.05.2026

1. पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। आवेदिका श्रीमती लेखनी की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 372, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदिका के पति हरीशंकर की मृत्यु दिनांक 11.03.2023 को हो गई है। विपक्षी सं0 1 व 2 मृतक के पुत्र हैं। मृतक द्वारा मृत्यु उपरांत छोड़ी गयी सम्पत्ति जिसका विवरण पैरा 6 में दिया गया है, के सम्बन्ध में अपने पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की याचना की गयी है।

2. विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। मुनादी व प्रकाशन कराया गया, किन्तु मुनादी व प्रकाशन कराये जाने के बावजूद भी विपक्षीगण अथवा किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गयी।

3. आवेदिका द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि आवेदिका मृतक की पत्नी एवं विपक्षी सं0 1 व 2 मृतक के पुत्र हैं। आवेदिका व विपक्षीगण के अलावा अन्य कोई विधिक उत्तराधिकारी मृतक का नहीं है। आवेदिका की ओर से अपने कथन के समर्थन में सूची 7ग1 से जालौन डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक व आर्यावर्त बैंक के पासबुक की छायाप्रति कागज सं0 8ग/1 लगायत 8ग/3, परिवार रजिस्टर की छायाप्रति कागज सं0 9ग, आवेदिका व विपक्षीगण एवं मृतक के आधार कार्ड की छायाप्रति कागज सं0 10ग/1 लगायत 10ग/4 एवं मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति कागज सं0 11ग एवं मृत्यु प्रमाण पत्र की मूल प्रति कागज सं0 18ग एवं नकल परिवार रजिस्टर की मूल प्रति कागज सं0 19ग प्रस्तुत किये गये हैं।

4. विपक्षी संख्या–1 की ओर से जबावदावा/सहमति 13ख मय शपथ पत्र एवं विपक्षी सं0 2 की ओर से जबावदावा/सहमति मय शपथ पत्र प्रस्तुत की गयी है, जिसमें विपक्षीगण द्वारा मृतक हरीशंकर द्वारा मृत्यु उपरांत छोड़ी गयी सम्पत्ति के संबंध में आवेदिका के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने की सहमति व्यक्त की गयी है। आवेदिका ने स्वंय का साक्ष्य शपथपत्र बतौर पी0डब्लू0–1 के रूप में दाखिल किया है, जिसमें उसने मुख्य रूप से कथन किया गया है कि आवेदिका मृतक की पत्नी है तथा विपक्षी सं0 1 व 2 मृतक के पुत्र है।

5. अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य से स्पष्ट है कि आवेदिका श्रीमती लेखनी तथा विपक्षी सं0–1 व 2 मृतक हरीशंकर के उत्तराधिकारी हैं। चूँकि विपक्षी सं0 1 व 2 के द्वारा आवेदिका के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी किए जाने हेतु सहमति व्यक्त की है। ऐसी स्थिति में प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

Digitally signed by VIRJENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.03.31 20:25:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

<u>आदेश</u>

आवेदिका श्रीमती लेखनी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 3ख, अन्तर्गत धारा 372, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 स्वीकार किया जाता है। मृतक हरीशंकर द्वारा मृत्यु उपरान्त जालौन डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक लिमिटे शाखा कदौरा जिला जालौन के खाता संख्या 001313000003999 में छोड़ी गयी धनराशि मु0 5,37,273.87/– रूपये (पांच लाख सैतीस हजार दो सौ तिहत्तर रूपये सत्तासी पैसे) मय ब्याज के संबंध में आवेदिका श्रीमती लेखनी के पक्ष में नियमानुसार देय न्याय शुल्क अदा करने के उपरान्त उत्तराधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किया जाये।

आवेदिका श्रीमती लेखनी को आदेशित किया जाता है कि वह इस आशय की अण्डर टेंकिग न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे कि यदि मृतक के किसी अन्य नजदीकी वारिस द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पर आपत्ति की जाती है, तो वह इस उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को न्यायालय को समर्पित करेगी तथा यदि उक्त उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के माध्यम से कोई धनराशि आहरित की गई है, तो वह आहरित उक्त धनराशि मय 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज न्यायालय में जमा करेगी।

दिनांक 09.05.2026

(विरजेन्द्र कुमार सिंह)
जिला जज,
जालौन स्थान उरई।
जे.ओ.कोड यू.पी.–6525